देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र

220. **श्री रामजीलाल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार वहां स्थापित किये गये उद्योगों को समय पर राजसहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है; और

(ग) इस संबंध में स्वीकृति दिये जाने के बावजूद जिन मामलों में राजसहायता नहीं दी गई है, उन मामलों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं और यह राशि कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पिछड़े क्षेत्रों/तालुकों का पता लगाने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

(ख) चुनिन्दा पहाड़ी अगम्य तथा दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये उद्योग मंत्रालय 1971 से परिवहन राजसहायता का प्रबन्धन कर रहा है। इस योजना को अब 31,3,2000 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, उद्योग मंत्रालय विभिन्न राज्यों के चुनिन्दा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए आधारभूत सुविधायें जुटाने हेतु विकास केन्द्र योजना तथा एकीकृत अवसंरचना विकास योजना चला रहा है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत बागवानी, रिफाइनरियों तथा विद्युत उत्पादन एककों को छोड़कर सभी इकाइयों को 50% से 90% के बीच परिवहन राजसहायता अनुदेय है।

यह योजना प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्य करती है अर्थात् राजसहायता के लिए दावों की जांच सर्वप्रथम राज्य स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है तथा राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पात्र इकाइयों को वितरित की जाती है तथा उसकी प्रतिपूर्ति का दावा बाद में केन्द्रीय सरकार से किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस योजना के अन्तर्गत, इस योजना के प्रारंभ से आज तक केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 296.0 करोड़ रु० वितरण किया गया है।

Seminar on Thailand-India investment cooperation

221. SHRI AKHLESH DAS: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Seminar on 'Thailand-India investment cooperation' was held recently in New Delhi;

(b) if so, the issues of discussion;

(c) whether Government propose trade-ties with that country to enhance economic cooperation between India and Thailand; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir. This Seminar was held in association with apex industry association, viz. FICCI, CII and ASSOCHAM.

(b) The Seminar was designed to equip the investors with the perceptible insight about the growing investment opportunities in India and Thailand. Through the Seminar an attempt was made to disseminate the commitment of the Government to carry on economic reforms. The summit had special focus on sectors like industrial infrastructure, agro-business, food processing, etc.

(c) and (d) India and Thailand have trade agreements and Joint Trade Committee to review and discuss trade related matters between the two countries.

बाल श्रम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

222. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री शिव चरण सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो [illegible] क्या कारण है?